इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी 2016—फाल्गुन 7, शक 1937

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2016

क्र. एफ 6-1-2016-पचास-2.—राज्य शासन द्वारा एतद्द्वारा स्वयं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध रक्षा कर वीरता दिखाने वाली महिला अरूणा शानबाग के नाम से महिला हिंसा के विरुद्ध वीरता पुरस्कार हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं:—

अरूणा शानबाग वीरता पुरस्कार नियम

1.प्रस्तावना:—हमारे संविधान में महिलाओं और पुरूषों को समान रूप से शिक्षा और आजीविका प्राप्त करने, स्वंतत्र रूप से कहीं भी आने जाने, अपने विचारों को अभिव्यक्ति, आत्मरक्षा आत्म

सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया है। किंतु कई बार अपराधिक और असामाजिक तत्वों से महिलाओं की गरिमा और अस्मिता को आघात पहुचॅता है। अनेक महिलाएँ इन तत्वों के कारण शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो जाती है, उन्हें अपमान जनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। जो महिला स्वयं के बचाव में इस हिंसा के विरूद्व प्रतिक्रिया करती है/प्रतिउत्तर देती है। उन्हे कोई प्रोत्साहन ,राहत व सहयोग नही मिलता, जिससें उनके ऐसे कार्य अनदेखे, अनजाने व अनचीन्हें रह जाते है।

इसलिये राज्य सरकार की सोच हैं कि अपराधिक और असामाजिक तत्वों के विरूद्व साहस का प्रदर्शन कर स्वयं का बचाव करने वाली महिला को सम्मानित किया जाये ताकि अन्य महिलाओं को भी अपनी अस्मिता और रक्षा के लिए समुचित कदम उठाने की प्रेरणा मिल सके और ऐसे तत्वों के दुस्साहस पस्त हो सकें। इसी सोच को अमलीजामा पहनाने के लिए **19 मई 2015 को महिला पंचायत में मान. मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं के यौन उत्पीड़न के विरूद्व रक्षा कर वीरता दिखाने वाली महिला "अरूणा शानबाग के नाम से महिला हिंसा के विरूद्व वीरता पुरस्कार" की घोषणा की गई ।**

2. **शीषर्कः— यह नियम " अरूणा शानबाग वीरता पुरस्कार " कहलाऐंगें और म.प्र. राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होंगे।**

3. **पात्रता**:—घटना जिसमें किसी महिला द्वारा स्वयं की किसी भी प्रकार की हिंसा का वीरता पूर्वक स्वयं का बचाव करते हुए अवर्णनीय कार्य किया हो। घटना प्रदेश में ही 1 जनवरी से 31 दिसम्बर के बीच घटित हुई हो।

4. **विस्तार क्षेत्रः**—यह पुरस्कार महिला द्वारा मध्य प्रदेश में किए गए वीरतापूर्ण कार्यो हेतु दिया जायेगा।

5. **सम्मान का स्वरूपः—** यह योजना **" अरूणा शानबाग वीरता पुरस्कार "** कहलायेगी । स्वयं के विरूद्व हिंसा से बचाव कर वीरता का प्रदर्शन कर करने वाली महिला को **" अरूणा शानबाग वीरता पुरस्कार "** से सम्मानित किया जायेगा। यह प्रदेश स्तरीय पुरस्कार रूपये एक लाख का होगा। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष राज्य स्तर पर चयनित महिला को सम्मानित किया जायेगा।

6. **चयन समितिः**— प्रत्येक वर्ष के पुरस्कारो के लिए चयन हेतु निम्नानुसार चयन समिति का गठन किया जायेगाः—

6.1 **राज्य स्तर परः**— विभागीय मंत्री जी द्वारा प्रति वर्ष प्रदेश की विख्यात दो समाज सेवी महिला को नामांकित किया जायेगा। महिला बाल विकास विभाग ,सामाजिक न्याय विभाग एवं गृह विभाग से सचिव स्तर पर तीन शासकीय अधिकारियों को शामिल कर चयन समिति का गठन किया जावेगा।

6.2 **चयन समिति की शक्तियॉः–**

- चयन समिति द्वारा किये गए चयन पर विभागीय मंत्री द्वारा अनुमोदन दिया जायेगा।
- पुरस्कार चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।
- प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिए राज्य स्तर पर एक महिला का चयन किया जायेगा। अपवाद की स्थिति में समान घटना के लिए प्राप्त प्रस्ताव में चयन समिति द्वारा एक से अधिक महिलाओं का चयन करने पर पुरस्कार राशि समान भागों में वितरित किया जायेगी।
- चयन समिति की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी, उसके द्वारा लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुये विचार विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नही रखा जायेगा।
- चयन समिति के माननीय अशासकीय सदस्यों को चयन प्रकिया के लिये आमंत्रित किये जाने पर उन्हे राज्य के वरिष्ट अधिकारी ग्रेड ए के समकक्ष रेल यात्रा की श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

7. **चयन की प्रकियाः**–पुरस्कारों के लिए उपयुक्त महिला के चयन की प्रकिया, निम्नानुसार रहेगीः–

7.1 जिस वर्ष के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाना है। उस वर्ष राज्य स्तर की प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु संचालक/आयुक्त संचालनालय महिला सशक्तिकरण, महिला एवं बाल विकास की ओर से प्रत्येक वर्ष माह नवम्बर एवं दिसम्बर में प्रमुख प्रादेशिक समाचार पत्रों/इलेक्ट्रानिक मीडिया में राज्य शासन की ओर से विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा। प्रविष्टियां 10 जनवरी तक प्राप्त की जाएंगी। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्ठियां विचार के लिए मान्य नही की जाएंगी परन्तु विज्ञप्ति जारी करने आदि के समय में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तन कर सकेगा।

7.2 उपरोक्तानुसार पात्रता रखने वाले महिला स्वयं या महिला से सुपरिचित व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए प्रविषटि संचालक/आयुक्त,महिला सशक्तिकरण की ओर निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत कर सकेंगेंः–

7.2.1 वीरता पूर्ण कृत्य करने वाली महिला का पूर्ण परिचय।

7.2.2 संबंधित घटना का तथ्यात्मक पूर्ण विवरण।

7.2.3 प्रमाण स्वरूप अखबार की कतरन/छायाचित्र/एफ.आई.आर/एम.एन.सी/सोनोग्राफी/सी.सी.टी.वी.केमरा/आदि की प्रति।

7.2.4 यदि अन्य कोई वीरता का कार्य किया गया हो तो उसका तथ्यात्मक/संस्थात्मक विवरण।

7.2.5 चयन होने की दशा में पुरस्कार ग्रहण करने के बारे में संबंधित महिला की सहमति।

7.3 चयन के लिए योजना में निर्दिष्ट मापदंडों के अलावा कोई शर्ते लागू नही होगीं।

7.3.1 एक बार प्रस्तुत प्रविष्टियां एक बार के लिए ही विचारणीय होगीं।

7.3.2 प्रस्ताव पर स्पष्ट तौर पर पुरस्कार का नाम लिखा जाना होगा।

7.4 प्रविष्टि में अन्तर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नही किया जाऐगा।

7.5 प्रविष्टि में दिए गए तथ्यों /निष्कर्षो/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रस्तुतकर्त्ता का रहेगा ,इस संबंध में राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि जहॉ वह आवश्यक समझें अपने सूत्रों से दिए गए तथ्यों/ निष्कर्षो/प्रमाणों की पुष्टी कर सकें।

7.6 निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को प्राप्ति के एक सप्ताह की अवधि में संबंधित पुरस्कार
वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में पंजीकृत किया जायेगा।

प्रपत्र

पंजीयन क्रमांक	वीरता पूर्ण कृत्य करने वाली महिला का नाम	प्रविष्टि प्रस्तुतकर्त्ता का नाम एवं पता	प्राप्त कागजातों की कुल पृष्ठ संख्या	अन्य विवरण
1	2	3	4	5

7.7 विभाग के संज्ञान में घटना की जानकारी होने पर भी महिला का चयन किया जायेगा।

8. चयनित व्यक्ति को राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जायेगा विशेष परिस्थितियों में वे अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक साथ ला सकेगें जिन्हें उन्ही के साथ यात्रा करने और ठहरने की सुविधा प्राप्त होगी, किन्तु उन्हें यात्रा भत्ता देय के अलावा अन्य कोई भत्ता देय नही होगा। चयनित व्यक्ति को रेलगाड़ी में शासन के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी ग्रेड–ए के समकक्ष यात्रा की पात्रता होगी एवं प्रथम श्रेणी अधिकारी 'ए' ग्रेड के समान यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी।

9. **पुरस्कार की घोषणा एवं वितरण**:–चयन समिति द्वारा जिन महिला का चयन होगा उसके बारे में राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु राज्य शासन विभागीय मंत्री सें अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। अनुमोदन पश्चात पुरस्कार के लिए महिला के नाम की औपचारिक घोषणा प्रतिवर्ष 15 फरवरी तक की जायेगी। पुरस्कार का वितरण अंतराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को किया जायेगा।

10. **अलंकरण समारोहः**– यह सम्मान प्रतिवर्ष घोषणा अनुसार अलंकरण समारोह में प्रदान किया जायेगा। अलंकरण समारोह की तिथि 8 मार्च अंतराष्ट्रीय महिला दिवस होगी।

11व्यय की सम्पूर्ति एवं वित्तीय शक्तियॉः–इस राज्य स्तरीय पुरस्कार एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु बजट में प्रतिवर्ष समुचित प्रावधान रखा जायेगा एवं राज्य स्तरीय समारोह हेतु स्वीकृत मद पर व्यय के पूर्ण अधिकार आयुक्त महिला सशक्तिकरण को होगें, इस हेतु राज्य शासन की औपचारिक स्वीकृति की आवश्यकता नही होगी।

12. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तनः**– राज्य शासन महिला एवं बाल विकास विभाग को इन नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन परिवर्तन करने का अधिकार होगा। इन नियमों में अन्तर्निहित प्रावधानों के संबंध में प्रमुख सचिव,/सचिव, महिला एवं बाल विकास की व्याख्या अधिकृत एवं अंतिम मानी जायेगी, ऐसे मामले जिनका योजना / नियमों में उल्लेख नही है, के निराकरण के अधिकार भी प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र.शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग में वेष्ठित होगें ।

13. **पुरस्कार से संबंधित अभिलेखों का रखरखावः**–राज्य स्तरीय पुरस्कारों के मामले में आयुक्त महिला सशक्तिकरण म.प्र. प्रतिवर्ष के पुरस्कार की प्रविष्टियों, चयनित महिला का रिकार्ड एक अलग जिल्द में संधारित करेगें, चयनित महिला के कार्य आदि के संबंध में समारोह के समय एक विवरणिका जारी की जायेगी जिसमें इस पुरस्कार का स्वरूप तथा पुरस्कार प्राप्त महिला का अद्यतन विवरण दिया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एन. कांसोटिया, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.